मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो-कलेक्टर

कलेक्टर फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर से हुए सख्त नाराज

'दैनिक अवन्तिका' ▶▶ रतलाम

जिले में मिलावटखोरी की शिकायतें आ रही हैं। मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। छोटी-मोटी इस हंसी मजाक वाली सेंपलिंग से कोई लाभ नहीं। समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर श्री जमरा से सख्त नाराज रहे। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य ने भी कहा कि फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर्स द्वारा जिले में जो कार्रवाई की जा रही है वह प्रभावी नहीं है। इनके द्वारा छोटी दुकानों के प्रकरण बनाए जाते हैं, बड़े दुकानदारों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को छोड़ दिया जाता है। प्रकरण ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा जुमार्ना नहीं लगता है। अपर कलेक्टर ने बताया कि फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ही छोटी दुकानों पर प्रकरण बनाए जाते हैं, सैंपल लिए जाते हैं। शहरी क्षेत्र में इनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने कहा कि आगे से मिलावट के संबंध में कोई शिकायत आएगी तो श्री जमरा निलंबित कर दिए जाएंगे। श्री जमरा को निर्देशित किया कि उनके द्वारा विगत दो माह में क्या काम किया गया है, नोटशीट पर लाकर बताएं।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, डिप्टी कलेक्टर सुश्री मनीषा वास्कले, सुश्री कृतिका भीमावद तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि राशन के मामले में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करें। सभी एसडीएम से कहा कि राशन दुकानों की निरीक्षण रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है। निर्देशित किया कि राशन दुकानों की निरीक्षण रिपोर्ट प्रत्येक माह की तय समय सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर कार्यपालन यंत्री पीएचई श्री गोगादे से खिन्न नजर आए। कलेक्टर ने कहा कि यदि कोई भी नल-जल योजना बंद मिली तो संबंधित एसडीओ पीएचई सस्पेंड किया जाएगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री रजनीश सिन्हा ने बताया कि जिले में 624 आंगनवाड़ियां गोद ले ली गई है। अधिकतर आंगनवाड़ी अधिकारियों द्वारा गोद ली गई है। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि गोद लेने वाले अधिकारियों को जानकारी देवें कि सुधार के लिए आंगनवाड़ियों में क्या किया जाना है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों के निराकरण की समीक्षा भी कलेक्टर ने की। आगामी 20 जनवरी तक सभी विभागों को अपेक्षित कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि यदि जिले की रैंकिंग खराब होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उक्त जिम्मेदार विभागों में कृषि, ऊर्जा, नगर निगम, पीएचई, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण तथा राजस्व विभाग शामिल है जिनके परफारमेंस पर जिले की रैंकिंग निर्भर करेंगी।

कलेक्टर ने वैक्सीनेशन की समीक्षा भी की बच्चों के वैक्सीनेशन कार्य को 2 दिन में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा विगत दिनों वर्षा तथा अतिवृष्टि से हुए फसल नुकसान के सर्वेक्षण का बचा हुआ कार्य भी दो दिवस में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

हरे-भरे वृक्ष काटने पर बनाया पंचनामा

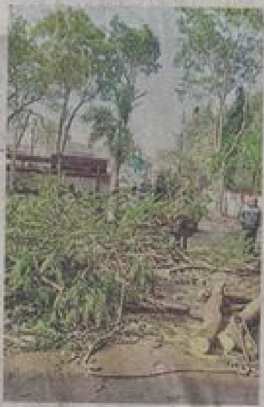

विधि महाविद्यालय परिसर में काटे गए वृक्ष। • नईदुनिया

रतलाम। शहर के आनंद कालोनी स्थित डा. कैलास नाथ काटजू विधि महाविद्यालय में पर्यावरण कानूनों की अनदेखी करते हुए हरे-भरे वृक्षों को काटा जा रहा है। इससे पर्यावरण प्रेमियों में आक्रोश उपज रहा है।

हरे-भरे वृक्ष काटे जाने की जानकारी मिलने पर अभाविप नगर मंत्री मंथन मूसले मौके पर पहुंचे। उन्होंने विधि महाविद्यालय की प्राचार्य से इस संबंध में जानकारी ली। वृक्षों को काटने की अनुमति के संबंध में पूछा गया तब भी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। हरे-भरे पेड़ों को बचाने के लिए नगर निगम को सूचना दी गई।

नगर निगम की टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर पंचनामा बनाया गया। वृक्षों को बगैर अनुमति के काटा जा रहा था। यहां पर कटाई के साधनों की जब्ती भी की गई।

नईदुनिया

नईदुनिया
18/1/2022

अवैध नल विच्छेद व बकाया वसूली की कार्यवाही निरंतर जारी

रतलाम। अवैध नल विच्छेदन व जलकर की बकाया राशि वसूलने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने झोन अनुसार अधिकारियों को नियुक्त किया है जिसके तहत नियुक्त अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करते हुए विभिन्न वार्डों में जलकर की बकाया वसूली करते हुए 1,20,775/- की राशि वसूली। निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने कार्यपालन यंत्री मोहम्मद हनीफ शेख के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए बकाया जलकर वसूली की कार्यवाही के तहत वार्ड क्रमांक 1 से 12 में 18,720/-, वार्ड क्रमांक 13 से 25 में 17,425/-, वार्ड क्रमांक 26 से 37 में 24,190/- व वार्ड क्रमांक 38 से 49 में 14,540/- इस तरह कुल राशि रूपये 1,20,775/- की बकाया राशि वसूली।

प्रभात

प्रभातकिरण
18/1/22

अवैध नल विच्छेद व बकाया वसूली की कार्यवाही निरंतर जारी

रतलाम। अवैध नल विच्छेदन व जलकर की बकाया राशि वसूलने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने झोन अनुसार अधिकारियों को नियुक्त किया है जिसके तहत नियुक्त अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करते हुए विभिन्न वार्डों में जलकर की बकाया वसूली करते हुए 1,20,775/- की राशि वसूली। निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने कार्यपालन यंत्री मोहम्मद हनीफ शेख के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए बकाया जलकर वसूली की कार्यवाही के तहत वार्ड क्रमांक 1 से 12 में 18,720/-, वार्ड क्रमांक 13 से 25 में 17,425/-, वार्ड क्रमांक 26 से 37 में 24,190/- व वार्ड क्रमांक 38 से 49 में 14,540/- इस तरह कुल राशि रूपये 1,20,775/- की बकाया राशि वसूली।

प्रभात

प्रसारण
18/1/2022

अभियान के बाद निगम को जल कर से मिले 1 लाख 20 हजार

रतलाम। अवैध नल विच्छेदन व जलकर की बकाया राशि वसूलने हेतु निगमायुक्त सोमनाथ झारिया ने झोन अनुसार अधिकारियों को नियुक्त किया है। नियुक्त अधिकारियों ने विभिन्न वार्डों से 1,20,775 की राशि वसूली। जानकारी के अनुसार वार्ड 1 से 12 में 18,720, वार्ड 13 से 25 में 17,425, वार्ड 26 से 37 में 24,190 व वार्ड 38 से 49 में 14,540 इस तरह कुल राशि रूपये 1,20,775/- की बकाया राशि वसूली। कार्यवाही कार्यपालन यंत्री मो.हनीफ शेख के निर्देशन में उपयंत्री सुहास पंडित, भैय्यालाल चौधरी, नीरज यादव, जितेन्द्र सिसोदिया द्वारा की गई।

नवभारत

नवभारत
18/1/2022

नवीन पाइप लाइन बिछाने के कार्य का भूमिपूजन

रतलाम। शहर के वार्ड क्रमांक-33 शास्त्री नगर में गुरु तेग बहादुर स्कूल के सामने और पारस कथुरिया वाली लाइन में पीने के पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए नवीन पाइप लाइन बिछाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए वैभव उपाध्याय के घर के बाहर से पं. नंदकिशोर शर्मा द्वारा पाइप-लाइन बिछाने के कार्य का भूमिपूजन किया गया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, कुशाभाऊ ठाकरे मंडल अध्यक्ष आदित्य डागा, वार्ड संयोजक संतोष कोलबेकर, जल प्रदाय अधिकारी सुहास पंडित, पार्टी के कार्यकर्ता रवि मालपानी, अंशुल एरन, पवन परिहार, अमित रायकवार, मनीष शर्मा, सुधा मालपानी, डीपी अग्रवाल, अशोक भार्गव, पारस कथुरिया, अनिमेष, वैभव उपाध्याय और कार्य के ठेकेदार चंदन पाटीदार आदि उपस्थित थे।

नईदुनिया

नईदुनिया
18/1/2022

विधि महाविद्यालय में काटे जा रहे हरे-भरे वृक्ष, निगम ने बनाया पंचनामा

रतलाम ● स्वदेश समाचार

डॉ. कैलाश नाथ काटजू विधि महाविद्यालय में पर्यावरण कानूनों की अनदेखी करते हुए हरे भरे वृक्षों को बगैर किसी कारण के काटा जा रहा है। ज्ञातव्य है कि रतलाम शहर के बीचो बीच स्थित डॉ कैलाश नाथ काटजू विधि महाविद्यालय जो कि अपनी हरे भरे परीसर के लिए भी जाना जाता है। महाविद्यालय में विधि अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाया जाता है । किंतु दुर्भाग्य है कि इसी महाविद्यालय परिसर में स्थित हरे भरे वृक्षों को बगैर किसी कारण के निर्ममतासे काटा जा रहा है।

इस बात की खबर अभाविप नगर मंत्री मंथन मुसले को मिली तो वह मौके पर पहुंचे। विधि महाविद्यालय की प्राचार्य से इस बात की जानकारी ली गई कि किस कारण से वृक्षों को काटा जा रहा है। कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर इन वृक्षों को काटने की अनुमति के संबंध में पूछा गया तब भी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। अंत में इन इन बेजुबान वृक्ष को बचाने के लिए प्रयास करते हुए यह सूचना नगर पालिक निगम रतलाम को दी गई।

इस सूचना के आधार पर नगर पालिक निगम की टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर पंचनामा तैयार किया गया जहां पाया गया कि वृक्षों को बगैर अनुमति के काटा जा रहा था। यहां पर कटाई के साधनों की जब्ती भी की गई एवं आगामी कार्रवाई हेतु आश्वासन दिया गया। इस प्रकार समय रहते कुछ वृक्षों को बचा लिया गया किंतु दुखद बात यह है कि इससे पहले भी कई वृक्षों को इस परिसर में इस प्रकार काटा गया है ।आगामी समय में ऐसी घटना ना हो इसके संबंध में चिंता का विषय है साथ ही रहवासियों एवं विद्यार्थियों की मांग है। की संबंधित व्यक्ति पर सीधे कार्रवाई की जाए यदि प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई नहीं की जाती तो विद्यार्थियों का कहना है कि आने वाले समय में इसके लिए श्रृंखलाबद्ध तरीके से अपनी बात को जनमानस को साथ लेकर आंदोलन के माध्यम से रखी जाएगी।

संबल पात्र हितग्राहियों को मिलेगा आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ : विधायक काश्यप

परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की सुविधा देते हैं

भास्कर संवाददाता | रतलाम

शहर के जिन संबल पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नही बन पा रहे थे, उनके अब आयुष्मान कार्ड बन सकेंगे। इतना ही नहीं हितग्राहियों को आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ मिलेगा। इसमें पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलती है।

विधायक चेतन्य-काश्यप ने 30 दिसंबर को हितग्राहियों के कार्ड नहीं बनने को लेकर शासन को पत्र लिखा था, इसमें समस्या का समाधान तत्काल करने का आग्रह किया था। इसका जवाब सोमवार को आया। इसमें आयुष्मान भारत निरामयम योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग चौधरी ने बताया कि शासन ने एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) भोपाल से समन्वय स्थापित कर समस्या का निराकरण कर दिया है। अब समस्त संबल पात्र हितग्राहियों की पात्रता आयुष्मान भारत के बीआईएस पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है। इसके माध्यम से समस्त पात्र हितग्राही कॉमन सर्विस सेन्टर व लोक सेवा केंद्र पर अपना आयुष्मान कार्ड बनवाकर योजना का लाभ ले सकेंगे।

अवैध नल कनेक्शन : 1 लाख 20 हजार की राशि बकाया के रूप में वसूली

रतलाम. अवैध नल कनेक्शन व जलकर की बकाया राशि वसूलने की कार्रवाई शहर में नगर निगम के पेयजल विभाग द्वारा चल रही है। अब तक विभाग ने जलकर की बकाया वसूली करते हुए 1,20,775 की राषि वसूली है। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया वार्ड क्रमांक 1 से 12 में 18,720, वार्ड क्रमांक 13 से 25 में 17,425, वार्ड क्रमांक 26 से 37 में 24,190 व वार्ड क्रमांक 38 से 49 में 14,540 इस तरह कुल राशि रूपये 1,20,775 की बकाया राशि वसूली है। कार्यवाही कार्यपालन यंत्री मोहम्मद हनीफ शेख, उपयंत्री सुहास पंडित, भैय्यालाल चौधरी, केमिस्ट नीरज यादव व जितेन्द्र सिसोदिया द्वारा की गई।

93 टन से अधिक कचरा जुलवानिया भेजा

रतलाम. गिला व सुखा कचरा अलग-अलग करके जुलवानिया स्थित ट्रैंचिंग ग्राउंड भेजा जा रहा है। इसी के अंतर्गत सोमवार को डम्पर से 36775, ट्रेक्टर से 17590, काम्पेक्टर सुखा कचरा 21130 व काम्पेक्टर गीला कचरा 18015 इस तरह कुल 93510 किलो कचरा जुलवानिया ट्रैंचिंग ग्राउण्ड भेजा गया।

वेदव्यास कॉलोनी में लगेगा शिविर

रतलाम. नगर निगम द्वारा शहर में चल रहे बकाया कर जमा करने के लिए शिविर का आयोजन वार्डो में चल रहा है। इसके अंतर्गत मंगलवार को वेदव्यास कॉलोनी में शिविर का आयोजन होगा। सोमवार तक संपत्तिकर 42.45 लाख रुपए व जलकर 8.95 लाख रुपए जमा हुआ है।

भौतिक सर्वे में चल रहा काम

रतलाम. शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। सोमवार तक 7503 पेंषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 75.03 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।

चार का वेतन काटा

18-1-22

रतलाम. शहर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर की 4 व 2 लेन सड़क, मुख्य सड़के, व्यावसायिक क्षेत्र, प्रमुख चौराहे, उद्यान आदि की रात्रीकालिन सफाई हेतु नियुक्त 100 सफाई मित्रों मे से 4 सफाई मित्रों द्वारा रविवार को बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने एक दिन का वेतन काटने का निर्णय लेते हुए सूचना पत्र जारी किया है।

रात्रिकालीन सफाई कार्य के अनुपस्थित 4 सफाई मित्रों का एक दिवस का वेतन काटा

• रतलाम। शहर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर की 4 व 2 लेन सड़क, मुख्य सड़के, व्यावसायिक क्षेत्र, प्रमुख चौराहे, उद्यान आदि की रात्रीकालिन सफाई हेतु नियुक्त 100 सफाई मित्रों में से 4 सफाई मित्रो द्वारा 16 जनवरी रविवार को बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के तहत 16 जनवरी रविवार को विशाल-कैलाश, रवि-उंकार, राजेश-मोहनलाल व अमन रमेश द्वारा बिना सूचना के बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। बिना सूचना के लगातार तीन दिवस अनुपस्थित रहने वाले सफाई मित्रों को सेवा से बर्खास्त किया जायेगा।

प्रजातंत्र

प्रसारण
18/1/2022

चार सफाई मित्रों का वेतन काटा

नईदुनिया

रतलाम। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के तहत रविवार को विशाल-कैलाश, रवि-ओंकार, राजेश-मोहनलाल व अमन रमेश बिना सूचना के कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहे। इस पर सभी का एक दिन का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किए जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

नईदुनिया

93 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया

रतलाम। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे, सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कर जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत सोमवार को 93 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया गया। डंपर से 36775, ट्रैक्टर-ट्राली से 17590, काम्पेक्टर सूखा कचरा 21130, काम्पेक्टर गीला कचरा 18015 कुल 93510 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया गया।

नईदुनिया

नईदुनिया
18/1/2022

कर रहा

आज वेदव्यास कॉलोनी में लगेगा वसूली शिविर

रतलाम | संपत्ति व जलकर सहित अन्य शुल्क, किराया भरने की नागरिकों को सुविधा देने के लिए नगर निगम वार्ड वार शिविर लगा रहा है। 18 जनवरी को वार्ड 46 व 48 के लिए वेदव्यास कालोनी में बकाया वसूली शिविर लगेगा। इसके बाद वार्ड 22 के लिए 19 जनवरी को कल्याण नगर में, वार्ड 18, 19 व 20 के लिए 20 से 21 जनवरी तक दीनदयाल नगर, वार्ड 44 व 23 के लिए 22, 24 व 25 जनवरी को बोहरा बाखल, वार्ड 23 व 44 के लिए 27 जनवरी को रामगढ़ में शिविर लगेगा।

दिसंबर से लगाए जा रहे शिविरों में अब तक नगर निगम को संपत्तिकर के रूप में 42.45 लाख और जलकर के रूप में 8.95 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। 3 मार्च तक चलने वाले शिविरों में दुकान, गुमटी किराया, लाइसेंस शुल्क, विकास शाखा से संबंधित भवन की किस्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि भी जमा की जा रही है।

छोटी-छोटी दुकानों के ही केस बनाने से फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर पर कलेक्टर नाराज

कलेक्टर ने इंस्पेक्टर को निलंबित करने की दी चेतावनी

भास्कर संवाददाता | रतलाम

जिले में मिलावटखोरों की शिकायत आने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर पर खासे नाराज है। अपर कलेक्टर एमएल आर्य ने नाराजगी जताते हुए सोमवार को बताया कि फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर्स जिले में जो कार्रवाई कर रहे हैं, वह प्रभावी नहीं है। वे छोटी दुकानों के केस बना रहे हैं, लेकिन बड़े दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को छोड़ देते हैं।

प्रकरण ऐसे बन रहे है, जिसमें बहुत ज्यादा जुर्माना नहीं लगता है। अपर कलेक्टर ने बताया इंस्पेक्टर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में छोटी दुकानों पर केस बना रहे है, सैंपल ले रहे, लेकिन शहरी क्षेत्र में इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इधर, कलेक्टर ने कहा कि छोटी-मोटी इस हंसी मजाक वाली सैम्पलिंग से कोई लाभ नहीं। कलेक्टर ने मिलावट के संबंध में कोई शिकायत मिलने पर निलंबित करने की भी चेतावनी दे दी है।

नल-जल योजना बंद मिली तो एसडीओ होंगे सस्पेंड

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि कोई भी नल-जल योजना बंद मिली तो संबंधित एसडीओ पीएचई को सस्पेंड किया जाएगा। खाद्य अधिकारी को कहा कि राशन के मामले में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करें। सभी एसडीएम से कहा कि राशन दुकानों की निरीक्षण रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है।

अधिकारियों ने गोद ली 624 आंगनवाड़ी : महिला एवं बाल विकास विभाग के डीपीओ ने बताया जिले में 624 आंगनवाडियों गोद ले ली है। अधिकतर आंगनवाड़ी अधिकारियों ने गोद ली है। कलेक्टर ने वैक्सीनेशन की समीक्षा भी की बच्चों के वैक्सीनेशन काम को 2 दिन में पूरा करने का कहा है। वहीं, फसलों की नुकसानी के सर्वे को भी 2 दिन में पूरा करने का कहा।

बताया।

नया फरमान

दो से अधिक कुत्ते पालने पर रोक, करवाना होगा पंजीयन

घर पर कुत्ते पालने के पहले करवाना होगा पंजीयन

18-1-22

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर में नगर निगम सीमा में अब दो से अधिक कुत्ते एक घर में पालने पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं कुत्ता पालने से पहले नगर निगम में पंजीयन करवाना होगा। पंजीयन के लिए प्रति कुत्ता एक हजार रुपए पंजीयन शुल्क व 500 रुपए प्रति कुत्ता लाइसेंस का नवीनीकरण शुल्क लगेगा। बता दे कि रतलाम पूरे मध्यप्रदेश में डॉग बाइट के मामले में दूसरे नंबर पर है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र में निवासरत ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में कुत्ते पालते हैं, उन्हे अब कुत्ते पालने के पूर्व पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। निगम आयुक्त झारिया के अनुसार नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत कुत्ते पालकों द्वारा अपने कुत्ते को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा कुत्ते की भांति छोड़ दिया जा रहा है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है। ऐसे में कुत्ते मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत पंजीयन अनिवार्य किया गया है।

इस तरह होगा पंजीयन

कुत्ते पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति कुत्ता पंजीयन शुल्क रूपये 1000 एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500 प्रति कुत्ता तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100 रूपये जमा कराना होगा। कुत्ते पालकों को अधिकतम 2 कुत्ते पालने की मंजूरी रहेगी।

शिकायतों से नाराज कलेक्टर ने फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर से मंगवाई 2 माह के काम की नोटशीट

रतलाम। जिले में मिलावटखोरी की शिकायतें आ रही हैं। मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। छोटी-मोटी इस हंसी मजाक वाली सेंपलिंग से कोई

▶ मिलावटखोरी की कलेक्टर तक पहुंची शिकायतें

लाभ नहीं। समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर पर सख्त नाराज रहे।

इस दौरान अपर कलेक्टर एमएल आर्य ने भी कहा कि फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर्स द्वारा जिले में जो कार्रवाई की जा रही है वह प्रभावी नहीं है। इनके द्वारा छोटी दुकानों के प्रकरण बनाए जाते हैं, बड़े दुकानदारों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को छोड़ दिया जाता है। प्रकरण ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा जुर्माना नहीं लगता है। अपर कलेक्टर ने बताया कि फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ही छोटी दुकानों पर प्रकरण बनाए जाते हैं, सैंपल लिए जाते हैं। शहरी क्षेत्र में इनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने कहा कि आगे से मिलावट के संबंध में कोई शिकायत आएगी तो श्री जमरा निलंबित कर दिए जाएंगे। श्री जमरा को निर्देशित किया कि उनके द्वारा विगत दो माह में क्या काम किया गया है, नोटशीट पर लाकर बताएं।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े, डिप्टी कलेक्टर मनीषा वास्कले, कृतिका भीमावद तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि राशन के मामले में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करें। सभी एसडीएम से कहा कि राशन दुकानों की निरीक्षण रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है। निर्देशित किया कि राशन दुकानों की निरीक्षण रिपोर्ट प्रत्येक माह की तय समय सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर कार्यपालन यंत्री पीएचई श्री गोगादे से खिन्न नजर आए। कलेक्टर ने कहा कि यदि कोई भी नल-जल योजना बंद मिली तो संबंधित एसडीओ पीएचई सस्पेंड किया जाएगा।

कलेक्टर ने वैक्सीनेशन की समीक्षा भी की बच्चों के वैक्सीनेशन कार्य को 2 दिन में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा विगत दिनों वर्षा तथा अतिवृष्टि से हुए फसल नुकसान के सर्वेक्षण का बचा हुआ कार्य भी दो दिवस में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

जिले की 624 आंगनवाड़ियां ली गई गोद

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास रजनीश सिन्हा ने बताया कि जिले में 624 आंगनवाड़ियां गोद ले ली गई है। अधिकतर आंगनवाड़ी अधिकारियों द्वारा गोद ली गई है। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि गोद लेने वाले अधिकारियों को जानकारी देवें कि सुधार के लिए आंगनवाड़ियों में क्या किया जाना है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों के निराकरण की समीक्षा भी कलेक्टर ने की। आगामी 20 जनवरी तक सभी विभागों को अपेक्षित कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि यदि जिले की रैंकिंग खराब होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उक्त जिम्मेदार विभागों में कृषि, ऊर्जा, नगर निगम, पीएचई, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण तथा राजस्व विभाग शामिल है जिनके परफारमेंस पर जिले की रैंकिंग निर्भर करेंगी।

7503 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन

रतलाम। शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन के निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर व वार्डवार बनाए गए केंद्रों पर किया जा रहा है। इसके तहत सोमवार तक 7503 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है।

नईदुनिया

नईदुनिया
18/1/2022

कोरोना संक्रमण

तीसरे दिन भी 100 के पार रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा

44 मरीज स्वस्थ होकर हुए डिस्चार्ज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. मेडिकल कॉलेज की लैब से सोमवार की रात आई कोरोना जांच रिपोर्ट में एक बार फिर से मरीजों की संख्या 100 के पार रही। देर रात आई जांच रिपोर्ट में 108 मरीज पॉजिटिव पाए गए जबकि 44 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। जिले में अब कुल एक्टिव केस की संख्या 627 हो गई है।

अब जिस गति से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसी गति से अब स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। कोरोना की तीसरी लहर में हर दिन अब मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, मरीजों की बढ़ती संख्या के पीछे कारण आमजन का लापरवाही बरतना एक बड़ा कारण बन के सामने आया है। लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या के बाद भी कई लोग हैं जोकि मास्क से दूरी बनाए हुए हैं।

राशन दुकानों के निरीक्षण की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही

नल-जल योजना बंद मिली तो संबंधित एसडीओ पीएचई होंगे निलंबित

रतलाम. जल जीवन मिशन की समीक्षा सोमवार को कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में की। इस दौरान कार्यपालन यंत्री पीएचई के प्रति उनके द्वारा नाराजगी जताई गई। कलेक्टर ने कहा कि यदि कोई भी नल-जल योजना बंद मिली तो संबंधित एसडीओ पीएचई को निलंबित किया जाएगा। इतना ही नहीं कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि राशन के मामले में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करें।

कलेक्टर ने सभी एसडीएम से कहा कि राशन दुकानों की निरीक्षण कर रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है। राशन दुकानों की निरीक्षण रिपोर्ट प्रत्येक माह की तय समय सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास रजनीश सिन्हा ने बताया कि जिले में 624 आंगनवाड़ियां गोद ले ली गई है। अधिकतर आंगनवाड़ी अधिकारियों द्वारा गोद ली गई है। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि गोद लेने वाले अधिकारियों को जानकारी देवें कि सुधार के लिए क्या किया जाना है।

तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण की समीक्षा कलेक्टर ने की। आगामी 20 जनवरी तक सभी विभागों को उम्मीद के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि यदि जिले की रैंकिंग खराब होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

दो दिन में पूरा हो बच्चों का टीकाकरण

कलेक्टर ने वैक्सीनेशन की समीक्षा के दौरान बच्चों के वैक्सीनेशन कार्य को 2 दिन में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा विगत दिनों वर्षा तथा अतिवृष्टि से हुए फसल नुकसान के सर्वेक्षण का बचा हुआ कार्य भी दो दिवस में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी के प्रति नाराजगी जताई। अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य ने कहा कि जिले में जो कार्रवाई की जा रही है, वह प्रभावी नहीं है।

संबल पात्र हितग्राहियों को मिलेगा आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ : काश्यप

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

शहर के जिन संबल पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड पूर्व में नही बन पा रहे थे, उनके अब आयुष्मान कार्ड बन सकेंगे। इससे उन्हें आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक के निःशुल्क उपचार की योजना दी जाती है।

विधायक चेतन्य काश्यप ने बताया कि रतलाम नगर के कुछ संबल पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे थे, इस पर उन्होने 30 दिसंबर 2021 को राज्य शासन को चिट्ठी लिखकर ध्यान आकर्षित किया था। अतिसंवेदनशील मामला होने से शासन से इस समस्या का समाधान तत्काल करने का आग्रह किया था।

शासन की ओर से 17 जनवरी को मिले प्रत्युत्तर में आयुष्मान भारत निरामयम योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग चौधरी ने बताया कि शासन ने एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) म.प्र. भोपाल से समन्वय स्थापित कर उक्त समस्या का निराकरण कर दिया है। इस कार्यवाही के बाद समस्त संबल पात्र हितग्राहियों की पात्रता आयुष्मान भारत के बीआईएस पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है। इसके माध्यम से समस्त पात्र हितग्राही कॉमन सर्विस सेन्टर व लोक सेवा केन्द्रों पर अपना आयुष्मान कार्ड बनवाकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

श्री काश्यप ने बताया कि आयुष्मान भारत निरामयम योजना भारत सरकार की अनुपम योजना है। इससे कई परिवारों को बिमारी के उपचार में काफी मदद मिली है। शहर के जो परिवार पात्र होते हुए भी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे, उनके सहित पूरे प्रदेश के पात्र हितग्राही परिवारों को अब आयुष्मान कार्ड बनने पर योजना का लाभ मिलने लगेगा।

प्रसारण
18/1/2022

संबल पात्र हितग्राहियों को मिलेगा 'आयुष्मान' का लाभ

रतलाम। शहर के जिन संबल पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड पूर्व में नही बन पा रहे थे, उनके अब आयुष्मान कार्ड बन सकेंगे। इससे उन्हें आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक के निशुल्क उपचार की योजना दी जाती है।

विधायक चेतन्य काश्यप ने बताया कि शहर के कुछ संबल पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे थे। इस पर उन्होंने 30 दिसंबर 2021 को राज्य शासन को चिट्ठी लिखकर ध्यान आकर्षित किया था। अतिसंवेदनशील मामला होने से शासन से इस समस्या का समाधान तत्काल करने का आग्रह किया था। शासन की ओर से 17 जनवरी को मिले प्रत्युत्तर में आयुष्मान भारत निरामयम योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग चौधरी ने बताया कि शासन ने एनआइसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) मप्र भोपाल से समन्वय स्थापित कर उक्त समस्या का निराकरण कर दिया है। इस कार्यवाही के बाद समस्त संबल पात्र हितग्राहियों की पात्रता आयुष्मान भारत के बीआइएस पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है।

इसके माध्यम से समस्त पात्र हितग्राही कामन सर्विस सेंटर व लोक सेवा केंद्रों पर अपना आयुष्मान कार्ड बनवाकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। काश्यप ने बताया कि आयुष्मान भारत निरामयम योजना भारत सरकार की अनुपम योजना है। इससे कई परिवारों को बीमारी के उपचार में काफी मदद मिली है।

शहर के जो परिवार पात्र होते हुए भी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे, उनके सहित पूरे प्रदेश के पात्र हितग्राही परिवारों को अब आयुष्मान कार्ड बनने पर योजना का लाभ मिलने लगेगा।

नईदुनिया

प्रदेश में अब टाइम फ्रेम में होगी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्यवाही

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने दिए निर्देश, नियम 2021 जारी

पीपुल्स ब्यूरो ● भोपाल
मो.नं. 9425174141

मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम-2021 जारी कर दिए गए हैं। अब टाइम फ्रेम में अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की कार्यवाही होगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने इस संबंध के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे लगभग 6 हजार अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले नागरिकों को लाभ मिलेगा। बाह्य विकास के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि कॉलोनी के मूलभूत अधोसंरचना को नगर की जल प्रदाय, सीवरेज प्रणाली एवं ड्रेनेज प्रणाली से जोड़ने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी। इसमें होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति कॉलोनाईजर द्वारा की जायेगी। कालोनाईजर का संपूर्ण प्रदेश के लिए एक ही रजिस्ट्रीकरण मान्य किया जाना प्रस्तावित है। यह व्यवस्था ऑनलाईन की जाएगी। मप्र गृह निर्माण एवं अधो-संरचना विकास

पांच वर्ष तक का समय

कॉलोनी का विकास कार्य पूर्ण करने की समयावधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष प्रस्तावित की गई है, जिसमें एक वर्ष का नवीनीकरण किए जाने का प्रावधा भी है। विकास कार्य के समानुपात बंधक भू-खण्ड विमुक्त करने संबंधी चरणवार प्रावधान रखे गए हैं।

मण्डल, विकास प्राधिकरण, स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं नगर पालिका कॉलोनाईजर के रजिस्ट्रेशन की बाध्यता से मुक्त रखे गए हैं।

पिपुल्स 18-1-22

भास्कर

रात्रिकालीन सफाई कार्य के अनुपस्थित 4 सफाई मित्रों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम। शहर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर की 4 व 2 लेन सड़क, मुख्य सड़के, व्यावसायिक क्षेत्र, प्रमुख चौराहे, उद्यान आदि की रात्रीकालिन सफाई हेतु नियुक्त 100 सफाईमित्रों मे से 4 सफाई मित्रो द्वारा 16 जनवरी रविवार को बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के तहत 16 जनवरी रविवार को विशाल-कैलाश, रवि-उंकार, राजेश-मोहनलाल व अमन रमेश द्वारा बिना सूचना के बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। बिना सूचना के लगातार तीन दिवस अनुपस्थित रहने वाले सफाई मित्रों को सेवा से बर्खास्त किया जायेगा।

18-1-22

संबल पात्र हितग्राहियों को मिलेगा आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ : काश्यप

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

18.1.22

शहर के जिन संबल पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड पूर्व में नही बन पा रहे थे, उनके अब आयुष्मान कार्ड बन सकेंगे। इससे उन्हें आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक के निःशुल्क उपचार की योजना दी जाती है।

विधायक चेतन्य काश्यप ने बताया कि रतलाम नगर के कुछ संबल पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे थे, इस पर उन्होंने 30 दिसंबर 2021 को राज्य शासन को चिट्ठी लिखकर ध्यान आकर्षित किया था। अतिसंवेदनशील मामला होने से शासन से इस समस्या का समाधान तत्काल करने का आग्रह किया था।

शासन की और से 17 जनवरी को मिले प्रत्युत्तर में आयुष्मान भारत निरामयम योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग चौधरी ने बताया कि शासन ने एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) म.प्र. भोपाल से समन्वय स्थापित कर उक्त समस्या का निराकरण कर दिया है। इस कार्यवाही के बाद समस्त संबल पात्र हितग्राहियों की पात्रता आयुष्मान भारत के बीआईएस पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है। इसके माध्यम से समस्त पात्र हितग्राही कॉमन सर्विस सेन्टर व लोक सेवा केन्द्रों पर अपना आयुष्मान कार्ड बनवाकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

श्री काश्यप ने बताया कि आयुष्मान भारत निरामयम योजना भारत सरकार की अनुपम योजना है। इससे कई परिवारों को बिमारी के उपचार में काफी मदद मिली है। शहर के जो परिवार पात्र होते हुए भी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे, उनके सहित पूरे प्रदेश के पात्र हितग्राही परिवारों को अब आयुष्मान कार्ड बनने पर योजना का लाभ मिलने लगेगा।

अभियान के बाद निगम को जल कर से मिले 1 लाख 20 हजार

रतलाम। अवैध नल विच्छेदन व जलकर की बकाया राशि वसूलने हेतु निगमायुक्त सोमनाथ झारिया ने झोन अनुसार अधिकारियों को नियुक्त किया है। नियुक्त अधिकारियों ने विभिन्न वार्डों से 1,20,775 की राशि वसूली। जानकारी के अनुसार वार्ड 1 से 12 में 18,720, वार्ड 13 से 25 में 17,425, वार्ड 26 से 37 में 24,190 व वार्ड 38 से 49 में 14,540 इस तरह कुल राशि रूपये 1,20,775/- की बकाया राशि वसूली। कार्यवाही कार्यपालन यंत्री मो.हनीफ शेख के निर्देशन में उपयंत्री सुहास पंडित, भैय्यालाल चौधरी, नीरज यादव, जितेन्द्र सिसोदिया द्वारा की गई।

अभियान के तीसरे दिन बांटे 17 हजार मास्क

रतलाम। सनातन् सोश्यल ग्रुप द्वारा तीन दिवसीय चलाए गए मास्क लगाओ, मास्क लगवाओं अभियान के तहत अंतिम दिन 17 हजार मास्क वितरित किए गए। इस तरह तीन दिन में ग्रुप ने 51 हजार से अधिक मास्क वितरित किए। संयोजक मुन्नालाल शर्मा एवं अध्यक्ष अनिल पुरोहित ने बताया कि सोमवार को वरिष्ठ सदस्यों द्वारा कृषि मंडी मह रोड में किसान भाईयों को मास्क वितरित किए गए। वहीं टाटानगर, धीरजशाह नगर, बाजना मोटर स्टेण्ड, डोंगरे नगर, विरियाखेड़ी क्षेत्र में नरेन्द्र जोशी गुल्लु, राजेन्द्र सोनी, देवेन्द्र पुरोहित, विजय सोनी, जितेन्द्र पंडित, शैलेन्द्र सोनी, क्षितिज जोशी, राजेश परमार, भीम सोनी ने मास्क वितरित किए। गांधी नगर ,शिवनगर, ओल्ड रेलवे कालोनी, मीराकुटी क्षेत्र में जगदीश अकोदिया, हितेश पैमाल, मनोज दीक्षित, राजु शुक्ला, किशोर सिंघला, राजीव ने मास्क वितरित किए। वहीं एक अन्य क्षेत्र में आदित्य डागा, मंसूर जमादार, इलियाज कुरैशी, मुबारिक शैरानी, मरीयल मंसूरी, आशीष पाटीदार, राधेश्याम ने मास्क वितरित किए।

नवभारत 18-1-22

तीन दिवस तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी होंगे बर्खास्त

रतलाम। शहर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर की 4 व 2 लेन सड़क, मुख्य सड़के, व्यावसायिक क्षेत्र, प्रमुख चौराहे, उद्यान आदि को रात्रीकालिन सफाई हेतु नियुक्त 100 सफाई मित्रों मे से 4 सफाई मित्रो द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के तहत विशाल-कैलाश, रवि-ऊंकार, विजय-सुरेश व आनन्द-बाबुलाल द्वारा बिना सूचना के बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। बिना सूचना के लगातार तीन दिवस अनुपस्थित रहने वाले सफाई मित्रों को सेवा से बर्खास्त किया जायेगा।

कर जमा करने के शिविर में लीजरेंट जमा करने की सुविधा नहीं

अधूरे शिविर से आमजन नाराज

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. नगर निगम ने वित्तीय वर्ष समाप्ती के पूर्व बकाया कर जमा करने के लिए शिविर का आयोजन वार्डो में चलाया हुआ है। इस शिविर में जलकर व संपत्तिकर तो जमा किया जा रहा है, लकिन लीजरेंट से जुड़े कर को जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में शिविर में आए हुए करदाता नाराज होकर वापस लौट रहे हैं।

नगर निगम ने संपत्तिकर व जलकर शिविर का आयोजन शहर के 49 वार्डो में किया हुआ है। इन शिविर में बकायादार को बुलाकर बकाया कर जमा करने की सुविधा दी गई है। वे उपभोक्ता जो अब तक इन दोनों या इन दो में से एक कर को अब तक जमा नहीं किए है, उसको जमा करने को कहा जा रहा है। ऐसे में उपभोक्ता जाकर इन कर को तो

जमा कर रहे है, लेकिन ऐसे कई उपभोक्ता भी है जो अन्य कर को जमा करने के लिए जाते है तो उनको वापस लौटाया जा रहा है।

इसलिए जा रहे उपभोक्ता

असल में नगर निगम ने प्रचार किया हुआ है कि सभी करों के भुगतान के लिए वार्डो में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि वृद्ध व विशेषकर महिला उपभोक्ताओं को नगर निगम नहीं जाना पड़े व वे अपने वार्ड में ही कर को जमा करें। लेकिन इस प्रकार के शिविर में विकास शाखा से जुडे लीजरेंट को जमा करने की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में विकास शाखा से जुड़े सालाना लीजरेंट को जमा करने के लिए नगर निगम व विकास शाखा में जाने की मजबूरी आमजन की बनी हुई है। निगम को रविवार तक 41.12 लाखा संपत्तिकर व 8.50 लाख रुपए जलकर के बकाया के रुप में मिल गए है। लेकिन लीजरेंट जमा करने की सुविधा नहीं होने से कुछ भी इन शिविर में नहीं मिला है।

फिर शिविर का क्या औचित्य

नगर निगम के कर जमा करने के शिविर में लीजरेंट जमा करने की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। जब जमा करने गए तो बताया गया कि इसके लिए नगर निगम ही जाना होगा। **- अनिल पेंडसे,** रहवासी, काटजू नगर

अलग से संभव नहीं

लीजरेंट की सभी की अलग-अलग राशि होती है, हर वार्ड में इससे जुड़े उपभोक्ता भी नहीं है, इसलिए इसके लिए अलग से शिविर में कर जमा करना संभव नहीं है।- **सोमनाथ झारिया,** आयुक्त नगर निगम

18-1-22

आयुष्मान भारत निरामयम के लिए हुई मजूरी

संबल पात्र हितग्राहियों को मिलेगा योजना का लाभ

रतलाम. शहर के जिन संबल पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड पूर्व में नही बन पा रहे थे, उनके अब आयुष्मान कार्ड बन सकेंगे। इससे उन्हें आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक के निःशुल्क उपचार की योजना दी जाती है।

विधायक चेतन्य काश्यप ने बताया कि शहर के कुछ संबल पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे थे, इस पर उन्होंने 30 दिसंबर 2021 को राज्य शासन को चिट्ठी लिखकर ध्यान आकर्षित किया था। अतिसंवेदनशील मामला होने से शासन से इस समस्या का समाधान तत्काल करने का आग्रह किया था। शासन की ओर से 17 जनवरी को मिले प्रत्युत्तर में आयुष्मान भारत निरामयम योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग चौधरी ने बताया कि शासन ने एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) मप्र भोपाल से समन्वय स्थापित कर उक्त समस्या का निराकरण कर दिया है। हितग्राहियों की पात्रता आयुष्मान भारत के बीआईएस पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है। इसके माध्यम से समस्त पात्र हितग्राही कॉमन सर्विस सेन्टर व लोक सेवा केन्द्रों पर अपना आयुष्मान कार्ड बनवाकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

विधायक काश्यप ने बताया कि आयुष्मान भारत निरामयम योजना भारत सरकार की अनुपम योजना है। इससे कई परिवारों को बीमारी के उपचार में काफी मदद मिली है। शहर के जो परिवार पात्र होते हुए भी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे, उनके सहित पूरे प्रदेश के पात्र हितग्राही परिवारों को अब आयुष्मान कार्ड बनने पर योजना का लाभ मिलने लगेगा।

श्वान पालकों को अपने श्वान कराना होगा रजिस्ट्रेशन

रतलाम। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं उन्हे अब अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाता है। आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000/- एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500/- प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/- रूपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम् 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी। नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

प्रसारण 18.1.22

संक्षिप्त समाचार

अब श्वान पालकों को अपने श्वान कराना होगा रजिस्ट्रेशन

रतलाम। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं उन्हे अब अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जा है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है। ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिए नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। श्वान पालक को निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000/- एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500/- प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/- रूपये जमा कराना होगा। नव भारत 18-1-22

समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

लापरवाही बरतने वाले फूड एवं ड्रग इंस्पेक्टर और अधिकारियों पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई

रतलाम ● स्वदेश समाचारसमयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर कमलेश जमरा से सख्त नाराज रहे। इस दौरान अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य ने भी कहा कि फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर्स द्वारा जिले में जो कार्रवाई की जा रही है वह प्रभावी नहीं है। इनके द्वारा छोटी दुकानों के प्रकरण बनाए जाते हैं, बड़े दुकानदारों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को छोड़ दिया जाता है। प्रकरण ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा जुर्माना नहीं लगता है।

अपर कलेक्टर ने बताया कि फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ही छोटी दुकानों पर प्रकरण बनाए जाते हैं, सैंपल लिए जाते हैं। शहरी क्षेत्र में इनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कलेक्टर पुरुषोत्तम ने कहा कि आगे से मिलावट के संबंध में कोई शिकायत आएगी तो श्री जमरा निलंबित कर दिए जाएंगे। उन्हें निर्देशित किया कि उनके द्वारा विगत दो माह में क्या काम किया गया है, नोटशीट पर लाकर बताएं।

जिले की रैंकिंग खराब होने पर अधिकारियों पर कार्रवाई

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास रजनीश सिन्हा ने बताया कि जिले में 624 आंगनवाड़ियां गोद ले ली गई है। अधिकतर आंगनवाड़ी अधिकारियों द्वारा गोद ली गई है। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि गोद लेने वाले अधिकारियों को जानकारी देवें कि सुधार के लिए आंगनवाड़ियों में क्या किया जाना है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों के निराकरण की समीक्षा भी कलेक्टर ने की। आगामी 20 जनवरी तक सभी विभागों को अपेक्षित कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि यदि जिले की रैंकिंग खराब होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उक्त जिम्मेदार विभागों में कृषि, ऊर्जा, नगर निगम, पीएचई, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण तथा राजस्व विभाग शामिल है जिनके परफारमेंस पर जिले की रैंकिंग निर्भर करेंगी।

वैक्सीनेशन कार्य दो दिन में पूर्ण करें

कलेक्टर ने वैक्सीनेशन की समीक्षा भी की बच्चों के वैक्सीनेशन कार्य को 2 दिन में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा विगत दिनों वर्षा तथा अतिवृष्टि से हुए फसल नुकसान के सर्वेक्षण का बचा हुआ कार्य भी दो दिवस में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

राशन के मामले में कोई गड़बड़ी न करें

कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि राशन के मामले में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करें। सभी एसडीएम से कहा कि राशन दुकानों की निरीक्षण रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है। निर्देशित किया कि राशन दुकानों की निरीक्षण रिपोर्ट प्रत्येक माह की तय समय सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

गोगादे से भी नाराज नजर आए

जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर कार्यपालन यंत्री पीएचई श्री गोगादे से खिन्न नजर आए। कलेक्टर ने कहा कि यदि कोई भी नल-जल योजना बंद मिली तो संबंधित एसडीओ पीएचई सस्पेंड किया जाएगा।

अमृत सागर कार्य का निगम आयुक्त ने किया निरीक्षण.

खाद बनाने के कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

रतलाम ● स्वदेश समाचार
अमृत सागर तालाब के संरक्षण व संवर्धन, उन्नयन एवं समेकित प्रबंधन परियोजना के प्रथम चरण में अमृत सागर तालाब से निकाली गई जलकुंभी से जैविक खाद बनाने के कार्य का निरीक्षण कर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कार्य में तेजी लाये जाने के निर्देश दिये।

श्री झारिया ने बताया कि अमृत सागर तालाब के संरक्षण व संवर्धन, उन्नयन एवं समेकित प्रबंधन 22 करोड़ परियोजना के प्रथम चरण में अमृत सागर तालाब से एक्वेटिक विर्ड हार्वेस्टर मशीन से पिछले 18 दिनों से जलकुंभी निकालने का कार्य निरंतर जारी हैं। जलकुंभी का स्थल पर ही निपटान हो इस हेतु तत्कालीन कलेक्टर द्वारा नगर निगम को गई पौने दो हेक्टर भूमि का सीमांकन कर जलकुंभी को डाला जा रहा है। जलकुंभी में पर्याप्त मात्रा में नाईट्रोजन व फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होने से एकत्रित की गई जलकुंभी से खाद भी बनना प्रांरभ हो चुकी है जो 45 दिनों में पुरी तरह से खाद में तब्दील हो जायेगी। उन्होंने बताया वैज्ञानिक तरीके से जलकुंभी से खाद बनाने की डीपीआर भी तैयार की जा रही है जिससे ओर अधिक तेजी से खाद बनाने का कार्य किया जाकर जलकुंभी का निपटान किया जायेगा। खाद किसानों व नागरिकों को विक्रय की जावेगी जिससे निगम के राजस्व में वृद्धि तो होगी ही साथ ही रतलाम शहर की प्राचीन धरोहर अमृत सागर तालाब व आसपास का क्षेत्र साफ-स्वच्छ व सुन्दर होगा।

श्वान पालकों को अपने श्वान कराना होगा रजिस्ट्रेशन

रतलाम। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं उन्हे अब अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाता है। आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000/- एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500/- प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/- रूपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी। नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

प्रसारण

प्रसारण
18/1/2022

साक्षिप्त समाचार

अब श्वान पालकों को अपने श्वान कराना होगा रजिस्ट्रेशन

रतलाम। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं उन्हे अब अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जा है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है। ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिए नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। श्वान पालक को निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000/- एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500/- प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/- रूपये जमा कराना होगा।

नवभारत

नवभारत
18/1/22

श्वान पालने के लिए अब कराना होगा रजिस्ट्रेशन

रतलाम। शहर में अब श्वान पालने के लिए नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना छोड़ दिया जाता है। इससे आम नागरिक डरता है। इसके चलते रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लाइसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क 1000 व लाइसेंस शुल्क 500 रुपये प्रति श्वान जमा कराना होंगे। लाइसेंस नवीनीकरण के लिए प्रतिवर्ष 100 रुपये जमा कराना होंगे।

नईदुनिया

नईदुनिया
18/1/2022

अमृत सागर से निकली जलकुंभी से बनाई जा रही जैविक खाद के कार्य का निगम आयुक्त द्वारा निरीक्षण

अवन्तिका 18-1

खाद बनाने के कार्य में तेजी लाए जाने के दिये निर्देश

दैनिक अवन्तिका ▸▸ रतलाम

अमृत सागर तालाब के संरक्षण व संवर्धन, उन्नयन एवं समेकित प्रबंधन परियोजना के प्रथम चरण में अमृत सागर तालाब से निकाली गई जलकुंभी से जैविक खाद बनाने के कार्य का निरीक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कर कार्य में ओर अधिक तेजी लाये जाने के निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि अमृत सागर तालाब के संरक्षण व संवर्धन, उन्नयन एवं समेकित प्रबंधन 22 करोड़ परियोजना के प्रथम चरण में अमृत सागर तालाब से एक्वेटिक विड हार्वेस्टर मशीन से पिछले 18 दिनों से जलकुंभी निकालने का कार्य निरंतर जारी हैं। जलकुंभी का स्थल पर ही निपटान हो इस हेतु तत्कालीन कलेक्टर महोदय द्वारा नगर निगम को गई पौने दो हेक्टर भूमि का सीमांकन कर जलकुंभी को डाला जा रहा है।

जलकुंभी में पर्याप्त मात्रा में नाईट्रोजन व फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होने से एकत्रित की गई जलकुंभी से खाद भी बनना प्रांरभ हो चुकी है जो 45 दिनों में पूरी तरह से खाद में तब्दील हो जायेगी।

उन्होने बताया कि वैज्ञानिक तरीके से जलकुंभी से खाद बनाने की डीपीआर भी तैयार की जा रही है जिससे ओर अधिक तेजी से खाद बनाने का कार्य किया जाकर जलकुंभी का निपटान किया जायेगा। बनाई गई खाद किसानों व नागरिकों को विक्रय की जावेगी जिससे निगम के राजस्व में वृद्धि तो होगी ही साथ ही रतलाम षहर की प्राचीन धरोहर अमृत सागर तालाब व आसपास का क्षेत्र साफ-स्वच्छ व सुन्दर होगा।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही-निगम आयुक्त

अवन्तिका 18-1-22

रतलाम । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये। प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पूरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

आनंद उत्सव के तहत हनुमान ताल पर हुआ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, अगले रविवार को चम्मच रेस, मटका फोड जैसी स्पर्धाए होगी

बचपन के खेल बुढापे में खेले... बुजुर्ग बन गए बच्चें

● रतलाम।

ये खेल तो हमने बचपन में बहुत खेले लेकिन अभी ये खेल कई सालों से नहीं खेले, इसलिये जैसे ही पेपर में इन खेलों का पता चला तो खुद को रोक नहीं पाए। ये उद्गार उन वृद्ध लोगो के थे जो आनंद उत्सव मनाने के लिए हनुमान ताल सुबह 9 बजे ही पँहुच गए थे। मध्यप्रदेश राज्य आनंद संस्थान द्वारा 14 से 28 जनवरी तक आयोजित आनंद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम रतलाम द्वारा हनुमान ताल पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं व पुरुषों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। सर्वप्रथम सभी ने सूर्य नमस्कार किया व हास्यासन किया। इसके पश्चात चेयर रेस का आयोजन हुआ।

कुर्सी के लिए बुजुर्ग भी बच्चों जैसे दौड़ते दिखाई दिए। महिलाओं व पुरुषों की 100 मीटर दोड़ भी आयोजित की गई। सभी बुजुर्गों में इतना जोश आ गया कि सभी नें मिलकर ट्रैन बनाकर इंजन व सिटी की आवाज निकलते हुए पूरे बगीचे में ट्रेन बनाकर दौड़े। पूर्ण अनुशासन व कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सामाजिक दूरी बनाकर सभी ने लोकगीत का भी आनंद लिया। अशोक मेहता ने माउथ ऑर्गन बजाकर सभी को आनंदित किया। सम्पूर्ण कार्यक्रम में आनंदक राजेन्द्र चतुर्वेदी, प्रीति बाजपेई, पवन मकवाना, प्रतिभा सिन्हा, पुष्पेंद्र सिंह सिसोदिया, कमलेश पाटीदार, धर्मा कोठारी, सुरेन्द्र अग्निहोत्री, विजय शर्मा, विशाल वर्मा ने सहयोग किया। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने आयोजन

स्थल पर पंहुच कर सभी लोगों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि ये इसे प्रतियोगिता नही समझे बल्कि खेल का आनंद उठाएं। और हमें हर चीज़ में आनंद ढूंढना चाहिये। इस अवसर पर सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ए पी सिंह, इंजीनियर ब्रजेश कुशवाह व ज़ोन प्रभारी किरण चौहान व कई नगर निगम कर्मचारी भी उपस्थित थे। आनंदम सहयोगी सीमा अग्निहोत्री ने आनंद उत्सव के लिए नगर निगम की बेहतरीन व्यवस्था के लिए नगर निगम आयुक्त व सभी निगम कर्मचारियों का आभार माना। उन्होंने बताया कि अगले रविवार 23 जनवरी को रस्सा खेंच, चम्मच रेस, मटका फोड़ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन पुनः हनुमान ताल पर ही होगा। कोविड प्रोटोकाल व बुजुर्गों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये भिन्न आयु समूह के लोगों को अलग समय पर बुलाया जायेगा, ताकि भीड़ ना हो। कार्यक्रम के अंत मे सभी लोगों ने नगर निगम द्वारा वितरित स्वल्पाहार का आनंद लेकर स्वच्छता गीत गाया व रतलाम को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया।

अग्नि01101. 18-1-22